न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/188

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति रावत निवासी गुडा धमावता, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)		1. भगवानसिंह पुत्र उदयसिंह जाति रावत निवासी गुडा धमावता, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) 2. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत बोरीमादा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित, भैराराम परिहार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री किशोर सिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 19/05/2025

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा जारी पट्टा संख्या 5714 दिनांक 28.11.1975 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत से रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का कब्जा था परन्तु ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि का पट्टा अप्रार्थी के पिता के पक्ष में जारी कर दिया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर जारी न कर, पहाडी की भूमि पर पट्टा जारी किया गया है। जैर आराजी पर प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जा है और प्रार्थी का मकान भी बना हुआ है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियम में उल्लेखित प्रावधानों की पालना नहीं करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो कि अवैध है। इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी का मालिकाना कब्जा है और उसका मकान बना हुआ है। अप्रार्थी तत्समय सीमान्त कृषक था एवं ग्राम पंचायत ने उसी अनुरूप अप्रार्थी के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। राजस्थान पंचायती राज नियम के आवंटन नियम 1975 के तहत भूमिहीन अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को केवल एक आवेदन पत्र के आधार पर मजमे आम में 150 वर्गगज के पट्टे दिये जाने के

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

प्रावधान थे। इस प्रकार के पट्टों में पट्टा जारी किये जाने के अन्य नियमों की पालना किये जाने की अनिवार्यता नहीं थी। अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने बिना किसी विधिक आधारों के जैर निगरानी पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा जारी पट्टा संख्या 5714 दिनांक 28.11.1975 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया जैर निगरानी आराजी की भूमि ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में न होकर गैर मुमकिन पहाड की भूमि है। इसका विरोध करते हुये विपक्षी अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथन की ताईद में न तो कोई जमाबन्दी पेश की और न ही कोई ऐसे साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर आराजी की भूमि आबादी में न होकर गैर मुमकिन पहाड की भूमि हो। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन साबित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी प्रार्थी की पुश्तैनी है और उस पर प्रार्थी का मकान बना हुआ है, जिसके समर्थन में उन्होनें एक फोटोग्राफ पेश किया। अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि जैर आराजी पर केवल अप्रार्थी का ही मालिकाना कब्जा है और उन्हीं का मकान है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी ने जो फोटोग्राफ पेश किया है उससे यह साबित नहीं होता है कि फोटो में दर्शित झोपडा प्रश्नगत भूमि पर बना हुआ हो। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अपने पुराने कब्जे के सम्बन्ध में भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी एक तरफ तो यह कह रहे है कि उक्त भूमि पर हमारा पुश्तैनी कब्जा है व मेरा मकान है तथा दूसरी तरफ उक्त भूमि की किस्म गैर मुमकिन पहाड बता रहे है, जो कि परस्पर विरोधाभाषी प्रतीत होते है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की न तो मिसल कायम की गई और न ही आपत्ति ईशतिहार जारी किया गया अर्थात् पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुये उज्र किया कि अप्रार्थी के पिता को जैर निगरानी पट्टा अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत जारी किया गया है, जिसमें पंचायती राज नियमों की पालना की आवश्यकता नहीं होती है। जैर निगरानी पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता उदय सिंह पुत्र मोटसिंह के पक्ष में अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत दिनांक 28.11.1975 को जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन व्यक्तियों, ग्राम कारीगरों एवं लघु एवं सीमांत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

कृषकों को आवासी आवास स्थल हेतु आबादी भूमि का विशेष आवंटन नियम, 1975 के अनुसार "आवंटन प्राधिकारी पात्र व्यक्तियों की पहचान करेगा, आवेदन प्राप्त करेगा और आवश्यक जांच के पश्चात् मजमा–आम में आवंटन आदेश पारित करेगा। इन नियमों के तहत 150 वर्ग गज का प्लॉट निःशुल्क आंवटित किया जाएगा तथा राजस्थान पंचायत एवं नई पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रावधान भूमिहीन अनुसूचित जातियों/जनजातियों, ग्रामीण कारीगरों और सीमांत कृषकों को आवासीय आवास स्थल हेतु भूमि आवंटन के लिए लागू होगें।" जिससे यह सुस्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकृति के आवंटन में पंचायती राज नियमों के प्रावधानों मे छूट दी गयी है और ग्राम पंचायत ने उसी अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो प्रथमदृष्टया विधिनुसार प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2002(2) DNJ (Raj.) 668 Vimla (Smt.) vs Additional Collector, Churu & Ors. के अनुसार भारत का संविधान, 1950– अनुच्छेद 226–विस्तार–भूमि का आंवटन–प्रार्थीयों ने अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान को अभिखण्डित करने के आदेश को चुनौती दी– प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान पंचायत द्वारा भूमि के लिये बिना कोई धनराशि वसूल किया गया–पंचायत के शिक्षा प्रसार अधिकारी जिसने वह आवंटन किया उसे विधि द्वारा उक्त आवंटन का कोई अधिकार नहीं था–ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन हेतु कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया–प्रार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण शिल्पी, छोटे किसानो की श्रेणी में नहीं आते– निर्णित, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान को अभिखडित करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो कि प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 के कथनों को बल देता है। समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन व्यक्तियों, ग्राम कारीगरों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को आवासी आवास स्थल हेतु आबादी भूमि का विशेष आवंटन नियम, 1975 के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, जो विधिनुसार प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत बोरीमादा द्वारा जारी पट्टा संख्या 5714 दिनांक 28.11.1975 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)